

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, सीवान।

सत्र वाद सं. 134/2021

02.06.2021

काराधीन अभियुक्त सोनू कुमार की ओर से ऑनलाईन एक आवेदन पूर्व में दाखिल जमानत आवेदन को वापस लेने वास्ते वकालतनामा के साथ दाखिल हुआ। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को ऑनलाईन सुना गया। जमानत आवेदन वापस लेने के आधार पर खारिज किया जाता है।

लेखापित

ह0/-

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश